

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,  
संयुक्त सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

- 1 न.पं. फतेहगंज पूर्वी, जनपद-बरेली।
- 2 न.पं. खुटार, जनपद-शाहजहांपुर।

नगर विकास अनुभाग-8

लखनऊ: दिनांक: 19 मार्च, 2015

विषय: वित्तीय वर्ष 2013-14 में नागर स्थानीय निकायों को आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि की उपयोगिता अवधि बढ़ाये जाने के संबंध में।

महोदय,

विभिन्न स्थानीय नागर निकायों को वित्तीय वर्ष 2013-14 में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि की उपयोगिता अवधि बढ़ाये जाने हेतु स्थानीय नागर निकायों द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित 02 नागर निकायों को वित्तीय वर्ष 2013-14 में आदर्श नगर योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि की उपयोगिता अवधि उनके नाम के सम्मुख कालम-6 में अंकित तिथि तक इस शर्त के अधीन बढ़ायी जाती है कि किसी भी दशा में दिनांक 31.3.2015 से आगे उपयोगिता अवधि नहीं बढ़ायी जायेगी। सम्बन्धित नागर निकायों द्वारा इस अवधि में प्रत्येक दशा में उनके नाम के सम्मुख अंकित शासनादेशों द्वारा स्वीकृत किये गये कार्यों को पूर्ण कराकर धनराशि का नियमानुसार व्यय/उपभोग करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र पर शासन/निदेशक, नगरीय निकाय, उ० प्र० लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत किये गये कार्यों में किसी भी प्रकार की द्विरावृत्ति अनुमन्य नहीं होगी :-

क्र. सं.	जनपद का नाम	निकाय का नाम	आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृत से सम्बन्धित शासनादेश संख्या एवं दिनांक	स्वीकृत धनराशि (रूप में लाख में)	स्वीकृत धनराशि का उपयोग किये जाने की तिथि
1	बरेली	न.पं. फतेहगंज पूर्वी	63/162आ.न.यो./9-8-14-8आ.न.यो.(बजट)/2014 दिनांक 26.02.2014	20.00	31.3.2015
2	शाहजहांपुर	न.पं. खुटार	60/63आ.न.यो./9-8-14-4आ.न.यो.(बजट)/2014 दिनांक 25.2.2014	13.50	31.3.2015

2. यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

अग्रदीय

( उमा शंकर सिंह )  
संयुक्त सचिव।

प्रोग.

संख्या-169/2015/393(1)आ.न.यो./9-8-15 तददिनांक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 एवं 9
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

( उमा शंकर सिंह )

संयुक्त सचिव।

*सि.क.*